CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 29 □ अंक- 158 □ रायपुर, बुधवार 1 जुलाई 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

नकटी की तोड़-फोड़ अमानवीय-अनैतिक तो है ही, गैरकानूनी भी है

1 कमरे के घर में 20 से 25 सदस्यीय परिवार को व्यवस्थापन दिया गया है, उनका गुजारा कैसे होगा?

नकटी पर कांग्रेस की पत्रकार वार्ता

रायपुर, 1 जुलाई (हाईवे चैनल)। राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नकटी गांव में 85 आवास एवं प्रधानमंत्री आवास के मकानों की तोड़-फोड़ साय सरकार और भाजपा के गरीब विरोधी चेहरे को उजागर करता है। नकटी की तोड़-फोड़ अमानवीय अनैतिक तो है ही यह तोड़-फोड़ गैरकानूनी भी है। अमूमन मानवीय आधार पर बारिश के समय विस्थापन की कार्यवाही नहीं की जाती है, यह छत्तीसगढ़ में 10 जून से 15 जून मानसून आने का समय माना जाता है। इस समय के बाद राज्य के जमीनों का सीमांकन भी नहीं किया जाता है। नकटी गांव में तोड़-फोड़ की कार्यवाही 29 जून को की गयी है, जो पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी प्रक्रिया है। इस कार्यवाही में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। सरकार कानूनी कार्यवाही नहीं करेगी तो हम इस मामले को लेकर कोर्ट भी जायेंगे। किसी भी विस्थापन की कार्यवाही के पहले व्यवस्थापन होना था, सरकार ने बिना व्यवस्थापन कार्य को पूरा किये वहां पर रह रहे लोगो को समान हटाने का अवसर दिये बिना तोड़-फोड़ किया, उनके घरो में बुलडोजर चलवाया। जहां पर व्यवस्थापन किया जा रहा है, वह भी वर्तमान निवास से बहुत दूर है। 1 कमरे के घर में 20 से 25 सदस्यी परिवार को व्यवस्थापन दिया गया है। उनका गुजारा कैसे होगा? वहां पर बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरते भी नहीं है। सरकार ने प्रभावितों को जो अस्थायी आवंटन पत्र दिया है उसके अनुसार 5.50 लाख, 8.50 लाख दो श्रेणी के मकान दिया है। इसका राशि का भुगतान कौन करेगा? इसको पूरा निःशुल्क क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस के आदिवासी विधायक जनक ध्रुव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नकटी में विधायक आवास लेने से मना कर दिया है। हमारी अनुसूचित जाति की महिला विधायक चातुरी नंद ने भी वहां पर आवास लेने से मना किया है, उनका कहना है वे भी गरीबों के आशियाना उजाड़ कर बनाये गये मकान पर अपना घर नहीं बसायेंगे। हम, कांग्रेस और भाजपा के विधायकों से भी आग्रह करते है कि गरीबों की आह लेकर बनाई जा रही इस कॉलोनी में आवास लेने से मना करें। सरकार के पास नये रायपुर में हजारों एकड़ खाली जमीने है। सरकार विभिन्न संस्थाओं कंपनियों को मुफ्त में 1 रू. फिट में जमीने देती है। वहां पर विधायक कालोनी क्यों नहीं बनाते है?

कांग्रेस पार्टी मांग करती है- सरकार अपनी गलती माने तोड़े गये मकानों को वहीं पर फिर से बनाकर दिया जाये। मकानों को तोड़ने पर जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार दे। सरकार इस अमानवीय कार्यवाही के दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करे। मुख्यमंत्री में जरा भी नैतिकता है, वे अपने सरकार की गलती के लिये माफी मांगे तथा तत्काल आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी को बर्खास्त करे। पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेन्द्र तिवारी, पूर्व मंत्री अमितेष शुक्ल, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, महामंत्री सकलेन कामदार, पूर्व विधायक अनीता शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन, राजेन्द्र पप्पू बंजारे, मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, वंदना राजपूत, वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह, प्रवक्ता अजय गंगवानी उपस्थित थे।

पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित वरिष्ठ नेता पहुंचे नकटी के प्रभावितों से मिलने

कांग्रेस नकटी के ग्रामीणों के साथ खड़ी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन, राजेन्द्र पप्पू बंजारे सहित वरिष्ठ नेता नकटी के प्रभावितों से मिलने पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नकटी में गरीबों के घर उजाड़े जाने का कांग्रेस विरोध करती है। 40 सालों से लोग घर बनाकर रह रहे है, सरकार दूसरे जगह विधायकों की कालोनी बना सकती है। नया रायपुर में आप 1 रू. फीट में सैकड़ों एकड़ जमीन एलॉट कर सकते है। वहां पर विधायक कालोनी बना लेते। सरकार गरीब विरोधी है। यह अत्याचार है। हम गरीबों को तत्काल व्यवस्थापित करने की मांग करते है। जिनका मकान तोड़े है, उनको मकान बना कर दे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि परपीड़क भाजपा सरकार की कार्रवाई के कारण नकटी गांव के अनेक गरीब परिवारों के आशियाने उजड़ गए। गरीब और कमजोर वर्गों पर होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी उनके न्याय और अधिकारों की इस लड़ाई में हर कदम पर साथ है।

छत्तीसगढ़ में आज से लागू होगा वी-बीजी रामजी अधिनियम, काम नहीं तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

रायपुर, 1 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई से नए वी-बीजी रामजी अधिनियम को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार के इस अधिनियम के प्रारूप को राज्य मंत्रिमंडल पहले ही मंजूरी दे चुका था। नए प्रावधानों के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का अधिकार मिलेगा।

मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। यदि समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मजदूरी सीधे श्रमिकों के बैंक अथवा डाकघर स्थित व्यक्तिगत बचत खातों में जमा की जाएगी। अधिनियम के तहत राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण रोजगार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। परिषद योजना के प्रभावी संचालन और निगरानी का कार्य करेगी।

नए अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ऐसे परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक श्रमिक को निर्धारित दैनिक मजदूरी दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा। यदि कोई पात्र व्यक्ति रोजगार के लिए आवेदन करता है और आवेदन प्राप्त होने की तिथि अथवा मांग की गई तिथि (जो बाद की हो) से 15 दिनों के भीतर उसे काम उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। यदि मस्टर रोल बंद होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो श्रमिक को 16वें दिन से भुगतान होने तक बकाया मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब मुआवजा दिया जाएगा। भुगतान में देरी की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है।

बाघ की खाल के साथ दबोचे गए दो तस्कर पुलिस विभाग से जुड़े होने से बढ़ी चिंता

जगदलपुर, 1 जुलाई (हाईवे चैनल)। महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर वन्यजीव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सेफ पैसेज के तहत उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व, डब्ल्यूसीसीबी, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो बाघों की खाल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा से बाबूराव मडावी और बिजेश्वर गेडाम को एक मोटरसाइकिल सहित दो बाघों की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ पश्चिम पारलकोट परिक्षेत्र, पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल, जिला कांकेर द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 390/09 पंजीबद्ध किया गया है। जांच में आरोपियों के ठिकाने से पैंगोलिन के शल्क भी बरामद हुए, जिससे अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्करी के संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में दोनों आरोपियों के पुलिस विभाग से जुड़े कर्मचारी होने और बाघों का शिकार इंद्रावती-अबूझमाड़ क्षेत्र में किए जाने की बात सामने आई है।

ब्रेकिंग न्यूज

नौगई ट्रिपल मर्डर की जांच करेगी सीबीआई, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की अधिसूचना

रायपुर, 1 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बीजेपी नेता समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग की ओर से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पीड़ित परिवार इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, जिसे अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। दरअसल, 16 जून की रात नौगई गांव में आरोपियों ने रेत तस्करी विवाद में फॉर्च्यूनर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। हादसे में भाजपा नेता लल्ला सिंह और नागेंद्र सिंह की जलने से मौत हो गई। वहीं, आरोपियों ने भाजपा नेता के भाई का विरेंद्र सिंह का गला फरसे से काट दिया था। इस केस में अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

अपहरण कर फिरौती मांगने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर, 1 जुलाई (हाईवे चैनल)। युवक के अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में फरार चल रहे आरोपी सोम उर्फ रोशन निर्मलकर को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, 24 जून को आरोपी अपने साथियों के साथ एक युवक को चाकू की नोक पर घर से अगवा कर कोरबाभांवर जंगल ले गए थे. वहां युवक के सामने गांजा फैलाकर उसकी तस्वीर खींची गई और परिजनों से 50 हजार रुपए की फिरौती मांगने की साजिश रची गई।

जम्मू-कश्मीर के डोडा में फटा बादल- फसलें, बाग-बगीचे और संपत्ति को भारी नुकसान, मलबा आने से कई सड़कें हुई बंद

नई दिल्ली, 1 जुलाई (न्यूज चैनल)। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश और बादल फटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। प्राकृतिक आपदा के कारण व्यापक स्तर पर फसलों, बाग-बगीचों और निजी संपत्ति को हानि पहुंची है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। डोडा जिले के भलेसा के खलजुगासर इलाके में बादल फटने की घटना हुई। इससे अचानक आई बाढ़ ने कृषि भूमि को बुरी तरह प्रभावित किया है। किसानों की खड़ी फसलें और फलदार बाग-बगीचे पूरी तरह बर्बाद हो गए। कई मकानों और अन्य निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कें बंद हो गईं। इससे भलेसा का भट्यास इलाका घंटों तक शेष क्षेत्रों से कटा रहा। डोडा जिले के कश्तीगढ़ क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण यहां अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई। हालांकि, कश्तीगढ़ में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक शिक्षकों को मिलेगी पुनर्नियुक्ति

रायपुर, 1 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं में कार्यरत शिक्षक संवर्ग (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक) को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। आदेश में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया गया है कि पुनर्नियुक्ति संबंधी जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर पर शीघ्र सुनिश्चित करें। शासन के इस निर्णय से शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगी।

शासन ने जारी की प्रशासकीय स्वीकृति, सभी जिलों में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश

स्कूलों में मंत्रोच्चार अनिवार्य: शिक्षा मंत्री गजेन्द्र ने कहा- निर्बाध रूप से रहेगा जारी, सरकार अपने आदेश पर कायम

रायपुर, 1 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार के आदेश को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. आदिवासी संगठन, ईसाई संस्थाओं के साथ कांग्रेस ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. इस घटनाक्रम के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंन्द्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार देने के उद्देश्य से मंत्रोच्चार कराने का फैसला लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका

लगाई है। शिक्षा गजेन्द्र यादव का कहना है कि फिलहाल सरकारी स्कूलों में निर्बाध रूप से मंत्रोच्चार चलेगा. मामले में कोर्ट जो फैसला सुनाएगी, उसके अनुसार आगे होगा. सरकार अपने आदेश पर कायम है और अदालत का जो भी फैसला आएगा, उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र 2026-27 के दौरान रिटायर होने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है. वह पूरे शैक्षणिक सत्र तक पढ़ा सकेंगे. इस फैसले को लेकर शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बताया कि शैक्षणिक सत्र के बीच अगर कोई शिक्षक रिटायर होता है तो वह सत्र के आखिर तक स्कूलों में पढ़ा सकेगा. हालांकि अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहता है, तो यह अलग विषय है, लेकिन ज्यादातर लोगों की इस पर सहमती रहती है।

सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस और डायरेक्टर विजया मेहता नहीं रहीं

नई दिल्ली, 1 जुलाई (न्यूज चैनल)। भारतीय सिनेमा और थिएटर जगत के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मराठी रंगमंच की रीढ़ मानी जाने वाली जानी-मानी अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरी मराठी फिल्म इंडस्ट्री और भारतीय थिएटर जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के लिए बता दें कि विजया मेहता का जन्म 4 नवंबर 1934 को गुजरात के वडोदरा में हुआ था और उनका शुरुआती नाम विजया जयवंत था। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। कला के प्रति उनके जुनून ने उन्हें थियेटर के महान गुरुओं, इब्राहिम अल्काजी और आदि मर्जबान तक पहुंचाया जिनसे उन्होंने अभिनय और निर्देशन की बारीकियां सीखीं। मराठी थिएटर में उन्हें बेहद आदर और प्यार से 'बाई' कहकर पुकारा जाता था।

बिरादरी की बात

चूहा- सुनती हो, आज से मनरेगा का नाम वी-बी-जी रामजी हो गया है।
चुहिया- हां जी, बस उसे 'जैरामजी' समझिए..!

बिलासपुर हाईकोर्ट में 3 जुलाई से बदलेगा रोस्टर, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच सुनेगी पीआईएल समेत अहम मामले

बिलासपुर, 1 जुलाई (हाईवे चैनल)। हाईकोर्ट ने न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए नया रोस्टर जारी कर दिया है. यह रोस्टर 3 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. नए रोस्टर में विभिन्न डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के बीच मामलों का नए सिरे से बंटवारा किया गया है. इसके साथ ही रजिस्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

नए रोस्टर के तहत चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच जनहित याचिकाएं, रिट अपील, हैबियस कॉर्पस,

आपराधिक अपील, पूंजी दंड संदर्भ, आपराधिक अवमानना, एफआईआर निरस्तीकरण से जुड़ी याचिकाएं और विशेष रूप से आवंटित मामलों की सुनवाई करेगी. वहीं जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच को वे सभी आपराधिक मामले सौंपे गए हैं जो किसी अन्य डिवीजन बेंच को आवंटित नहीं हैं। जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच वर्ष 2016 से लंबित दोषमुक्ति अपीलों की सुनवाई करेगी. इसके अलावा जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच को सिविल मामलों, कंपनी अपील, वैवाहिक मामलों की प्रथम अपील, कर संबंधी प्रकरण, ट्रिब्यूनल आदेशों के विरुद्ध रिट याचिकाएं और कमर्शियल अपीलेट डिवीजन के मामलों की सुनवाई करेंगे।

स्कूल के सफाईकर्मी ने कुएं में कूदकर दी जान, सुसाइड से पहले डॉयल 112 पर किया था कॉल

गरियाबंद, 1 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से युवक के सुसाइड का सनसनीखेज मामला सामने आया है. विवाद के बाद युवक ने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान 35 वर्षीय लोकेश कुमार यादव के रूप में हुई है. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, पूरा मामला देवभोग थाना इलाके के कुदलीमुड़ा गांव का है. मृतक लोकेश स्कूल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था. घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है. कुएं से शव को बाहर निकालने के बाद पंचनामा कार्रवाई की गई, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि घटना के दौरान युवक शराब के नशे में था. इस दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। यह भी सामने आया कि सुसाइड से पहले लोकेश ने डॉयल 112 पर भी कॉल किया था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

CMYK